

22/4/2022

वकील फरीकेन उपस्थित पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं वकील परिवार को सुना गया। वकील परिवार दी दायर अवकाश देनाया गया है प्रार्थना पत्र से सर्वान्वय दावा न्यायालय हाजि से विचाराधीन नही है। अपील से हार्ड कोर्ट में विचाराधीन है। एवं प्रार्थना पत्रावली में फरिदकारान वारीज एवं पुलिस प्रेजरन सभी फौत दी चुके हैं जिनके कायम मुकाम की कार्यवाही आज दिनीक तक भी साफल वकील हाय नही की गई है। अतः ऐसी सुरत में उक्त पत्रावली का आगे चलना का कोई औचित्य प्रतीत नही होगा है।

हम वकील और साखान की वदस से सहमत है एवं पत्रावली का अवलोकन करने से दावा इस न्यायालय में विचाराधीन होने की नही पाया गया है। ऐसी सुरत में फरिदकारान की कायम मुकाम की कार्यवाही नही किये जाने के कारण व मूल दावा के उम्माक में उक्त पत्रावली का न्यायालय में विचाराधीन रहने का औचित्य प्रतीत नही होगा है। अतः पत्रावली अदम नकलीय में खारिज की जारी है। पत्रावली फेल्ड मुकाम दोस नम्बर से कम होकर वाद नकलीय दाखिल दफतर हो।

सुप्रीम अदालत
(राज्य)